

**राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)  
जमशेदपुर - 83007

सं. रा.धा.प्र./आयकर/2020/01

दिनांक : 05.01.2021

**परिपत्र**

**विषय : आयकर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आयकर में छूट के लिए दावे संबंधी फार्म  
12बीबी प्रस्तुत किए जाने के संबंध में ।**

यह सूचित किया जाता है कि सीएसआईआर-एनएमएल में कार्यरत सभी स्थायी कर्मियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वेतन आय पर टीडीएस की गणना की जानी है। इस दिशा में प्रयोगशाला के सभी स्थायी कर्मियों को अपने आयकर की गणना के विकल्प (नया/पुराना) का चुनाव करना अनिवार्य है इसके साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आयकर में छूट के दावे से संबन्धित सूचना को भी अनिवार्य रूप से संलग्न फार्म 12बीबी में भरकर दिनांक 12 जनवरी, 2021 तक बिल अनुभाग में अवश्य जमा कर दें।

  
कौशिक भट्टाचार्या

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

संलग्न - यथोपरि ।